भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 435

08 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

शहरी रोजगार गारंटी योजना

435. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

श्रीमती कविता मलोथू:

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी गरीबों के लिए नरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना की आवश्यकता महसूस नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को शहरी गरीबों के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने में किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने इस योजना को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उक्त योजना के अंतर्गत भुगतान की जा रही मजदूरी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): शहरी गरीबी उपशमन सहित शहरी विकास राज्य का विषय है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार शहरी गरीबी को कम करने और बुनियादी शहरी सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न शहरी मिशनों को लागू कर रही है, जिनमें दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम) आदि शामिल हैं।

(ग), (घ) और (ङ): उपलब्ध सूचना के अनुसार, शहरी रोजगार योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्य त्रिपुरा (त्रिपुरा शहरी रोजगार कार्यक्रम, 2009 से), केरल (अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम, 2010 से), पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल शहरी रोजगार योजना, 2010 से), ओडिशा (मुख्यमंत्री कर्मतत्पर अभियान, अप्रैल, 2020 से), हिमाचल प्रदेश (मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना) और झारखंड (मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, 14.08.2020 से) हैं। राजस्थान ने वित्त वर्ष 2022-23 के अपने बजट में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की है। योजनाओं के अंतर्गत भुगतान किया जा रहा वेतन और बजट आवंटन राज्यों में भिन्न-भिन्न होता है।

*****